

## भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों की भूमिका

### प्रलिस के लयि:

संसदीय समितियों के प्रकार, [लोकसभा अध्यक्ष](#), राज्यसभा, लोकसभा

### मेन्स के लयि:

[संसदीय समितियाँ एवं इनका महत्त्व](#)

## चर्चा में क्यों?

[संसदीय समितियाँ](#) का गठन सार्वजनिक मामलों को गहराई से समझने और विशेषज्ञ राय वकिसति करने हेतु कया जाता है।

## संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees):

### ■ समितियों का वकिस:

- संरचति समति प्रणाली वर्ष 1993 में स्थापति की गई थी, लेकनि स्वतंत्रता के बाद से वयकतगत समतियों का गठन कया गया है।
- उदाहरण के लयि संवधान सभा की कई समतियों में से पाँच महत्त्वपूर्ण समतियाँ नमिनलखिति हैं:
- भारतीय नागरकिता की प्रकृति एवं दायरे पर चर्चा करने हेतु **नागरकिता खंड पर तदर्थ समति** का गठन कया गया था।
- पूर्वोत्तर सीमांत (असम) जनजातीय और बहषिकृत कषेत्तर उप-समति तथा बहषिकृत एवं आंशकि रूप से बहषिकृत कषेत्तर (असम के अलावा) उप-समति स्वतंत्रता के दौरान महत्त्वपूर्ण समतियाँ थीं।
- संघ संवधान के वत्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समति और अल्पसंख्यकों हेतु राजनीतिक सुरक्षा के वषिय पर सलाहकार समति का गठन क्रमशः कराधान एवं धार्मकि अल्पसंख्यकों के लयि आरक्षण के उन्मूलन पर सफिराशें देने हेतु कया गया था।

### ■ परचिय:

- संसदीय समति का अर्थ है एक समति जो:
  - संसदीय समति सांसदों का एक पैनल है जसि सदन द्वारा नयिकृत या नरिवाचति कया जाता है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामति कया जाता है।
  - अध्यक्ष/सभापति के नरिदेशन में कार्य करती है।
  - अपनी रपिरट सदन या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है।
  - लोकसभा/राज्यसभा द्वारा प्रदान कया गया सचवालय है।
- परामर्शदात्री समतियाँ जनिमें संसद के सदस्य भी शामिल हैं, संसदीय समतियाँ नहीं हैं क्योंकि वे उपरोक्त चार शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।

### ■ प्रकार:

- **स्थायी समतियाँ:** **स्थायी** (प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठति) और नरितर आधार पर कार्य करती हैं।
  - स्थायी समतियों को नमिनलखिति **छह श्रेणियों में वर्गीकृत कया जा सकता है:**
    - वत्तीय समतियाँ
    - वभागीय स्थायी समतियाँ
    - पूछताछ हेतु समतियाँ
    - जाँच और नयितरण हेतु समतियाँ
    - सदन के दनि-प्रतदिनि के कार्य से संबंधति समतियाँ
    - हाउस-कीपिंग समतियाँ या सेवा समतियाँ
- **तदर्थ समतियाँ:**
  - ये अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण-**संयुक्त संसदीय समति**।

### ■ संवधानकि प्रावधान:

- संसदीय समतियाँ **अनुच्छेद 105** (संसद सदस्यों के वशिषाधिकारों पर) और **अनुच्छेद 118** (इसकी प्रक्रया एवं कार्य संचालन को वनियमति करने तथा नयिम बनाने के लयि संसद के अधिकार पर) से अपने अधिकार प्राप्त करती हैं।

## संसदीय समितियों की भूमिका:

- **वधायी विशेषज्ञता प्रदान करना:**
  - अधिकांश सांसद चर्चा किये जा रहे विषयों के विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं। संसदीय समितियाँ सांसदों को विशेषज्ञता हासिल करने में सहायता और मुद्दों पर विस्तार से विचार करने के लिये समय प्रदान करती हैं।
- **लघु-संसद के रूप में कार्य करना:**
  - ये समितियाँ एक लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि उनके पास अलग-अलग दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं, (संसद में उनकी शक्त के समान अनुपात में)।
- **वसित्तुत जाँच का साधन:**
  - जब बलि इन समितियों को भेजे जाते हैं, तो उनकी गहनता से जाँच की जाती है और जनता सहित विभिन्न बाहरी हतिधारकों से उन पर सुझाव मांगा जाता है।
- **सरकार पर नगिरानी रखने में मदद:**
  - हालाँकि समिति की सफिरारशियों सरकार के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं कति उनकी रपिरर्टें परामर्शों का एक सार्वजनिक रकिॉर्ड प्रदान करती हैं और विविदति भागों के प्रतप्रशासन के रुख पर पुनर्वचिर करने के लिये दबाव डालती हैं।
  - जनता की नज़रों से दूर होने और एक पृथक माहौल में होने के कारण समिति की बैठकों में चर्चाएँ अधिक उत्पादक प्रकृति की होती हैं, साथ ही सांसदों पर मीडिया का दबाव कम होता है।

## हालिया समय में संसदीय समितियों की भूमिका पर प्रभाव:

- 17वीं लोकसभा के दौरान केवल 14 विधियकों को आगे की जाँच के लिये भेजा गया।
- PRS के आँकड़ों के अनुसार, 16वीं लोकसभा में पेश किये गए विधियकों में से केवल 25% को समितियों को भेजा गया था, जबकि 15वीं और 14वीं लोकसभा में यह आँकड़ा क्रमशः 71% और 60% था।

## आगे की राह

- कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिये उन्हें अधिक संसाधन, शक्तियाँ और अधिकार देकर संसदीय समितियों की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है।
- विभिन्न दृष्टिकोणों और सूचति नरिणयन सुनिश्चति करने के लिये समिति की कार्यवाही में नागरिक समाज, विशेषज्ञों तथा हतिधारकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहति किया जा सकता है।
- लाइव स्ट्रीमिंग तथा बैठकों की रकिॉर्डिंग एवं रपिरर्ट और सफिरारशियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर समिति की कार्यवाही में पारदर्शिता व जवाबदेही को सुनिश्चति किया जा सकता है।
- सभी हतिधारकों के हतियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चति करते हुए अधिक उत्पादक और कुशल वधायी प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु समितियों के भीतर द्विदलीय आम सहमत-नरिमाण की संस्कृति को विकसति करने का प्रयास किया जा सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कौन दूरसंचार, बीमा, बजिली आदिक्षेत्रों में स्वतंत्र नयिामकों की समीक्षा करता है? (2019)

1. संसद द्वारा गठति तदर्थ समितियाँ
2. संसदीय विभाग से संबंधति स्थायी समितियाँ
3. वतित आयोग
4. वतितीय क्षेत्र वधायी सुधार आयोग
5. नीति आयोग

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 3, 4 और 5
- (d) केवल 2 और 5

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं- स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ।
- स्थायी समितियाँ प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठति की जाती हैं तथा उनका काम कमोबेश नरितर आधार पर चलता रहता है।

- तदर्थ समितियों का गठन आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है एवं जैसे ही वे उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः विकल्प a सही है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/role-of-parliamentary-committees-in-indian-democracy>

